भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4879
उत्तर देने की तारीख 23 मार्च, 2026
2 चैत्र, 1948 (शक)

डोपिंग रोधी ढांचे तथा खेल प्रामाणिकता मानकों को मजबूत करना

4879. श्री महेंद्र सिंह सोलंकी :
कैप्टन बृजेश चौटा:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डोपिंग परीक्षण मानकों, प्रयोगशालाओं में प्रत्यायन और विनियामक निगरानी के उन्नयन के लिए कोई कदम उठाए हैं ताकि भारत के डोपिंग रोधी ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुरूप बनाया जा सके और क्या इससे राज्य स्तर पर लाभ हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य और विशिष्ट स्तरों पर विशेषकर मध्य प्रदेश के देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में क्षमता वृद्धि के उपायों और परीक्षण कवरेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहायक कार्मिकों के लिए संगठित जागरूकता, निवारक शिक्षा और सुरक्षित खेल अनुपालन कार्यक्रमों को संस्थागत रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र के लिए शिकायत निवारण तंत्र और पोषण पूरक और खिलाडियों हेतु सहायता सेवाओं को शासित करने वाले विनियामक मानकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): जी, हाँ। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डोप रोधी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए नाडा का क्षमता निर्माण, परीक्षण प्रोटोकॉल में वृद्धि और प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन जैसे कदम उठाए हैं। इसके लिए स्थापित योजनाओं और जोखिम मूल्यांकन के आधार

पर, इन-कॉम्पिटिशन और आउट-ऑफ-कॉम्पिटिशन दोनों नमूनों सहित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में परीक्षण कवरेज का विस्तार किया गया है। विभिन्न स्तरों पर जागरूकता और प्रशिक्षण गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं।

(ग) और (घ): एथलीटों, कोचों और सहायक कर्मियों के लिए ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म (एडीएलई), प्रमाणन पाठ्यक्रम और लक्षित आउटरीच पहलों के माध्यम से वाडा कोड 2021 के अनुरूप निवारक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। खेल स्पर्धाओं और प्रशिक्षण शिविरों के दौरान आयोजित कार्यशालाओं, डिजिटल और सोशल मीडिया सहभागिता और "नो योर मेडिसिन" मोबाइल एप्लिकेशन जैसे शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाती है। व्यापक पहुँच के लिए दृष्टि बाधित एथलीटों के लिए संसाधनों सहित बहुभाषी शैक्षिक सामग्री भी विकसित की गई है।

नाडा के तहत डोप नियंत्रण प्रक्रियाओं, परीक्षण प्रक्रियाओं और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें स्थापित नियमों के अनुसार डोप रोधी अपील पैनल सहित नामित निकायों के माध्यम से अपील की जाती है। एथलीटों को पोषण संबंधी संपूरक आहार से जुड़े जोखिमों के बारे में भी संवेदनशील बनाया जाता है, जिसमें संदूषण और डोप विरोधी नियमों के तहत सख्त दायित्व का सिद्धांत शामिल है।
